



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को **04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर , सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं० 30/2016 धारा 363/366 भा०द०सं० व 8 पाँक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त रोहित पुत्र श्याम काड़ी** निवासी ग्राम जल्ला थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को **04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक उ०नि० श्री सुरेन्द्र कुमार यादव



पैरोकार थाना कुरारा का० श्री रजनीश कुमार